भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2543
दिनांक 04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

सतत ग्रामीण रोजगार पैदा करने की पहल

2543. श्री धर्मबीर सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाटरशेड विकास, वनीकरण, मृदा संरक्षण और साझा भूमि के पुनरुद्धार के माध्यम से सतत ग्रामीण रोजगार सृजित करने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वैज्ञानिक आयोजना और उपग्रह-आधारित निगरानी को एकीकृत किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पहलों के माध्यम से दीर्घकालिक आजीविका के अवसरों में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(घ) क्या भिवानी-महेन्द्रगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उक्त परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) से (ग) : भूमि संसाधन विभाग का वॉटरशेड प्रबंधन (डब्ल्यूएम) प्रभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वॉटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) को क्रियान्वित कर रहा है। इसके तहत किए जाने वाले कार्यकलापों में, अन्य के साथ-साथ, रिज क्षेत्र शोधन, जल-निकास मार्ग शोधन, मृदा एवं नमी संरक्षण, वर्षा-जल संचयन, नर्सरी लगाना, चरागाह विकास, परिसंपत्ति-विहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका, आदि शामिल हैं।

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई-1.0 (वर्ष 2009-22 की अवधि के लिए) के तहत, भूमि संसाधन विभाग ने 6382 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सहायता प्रदान की। भूमि संसाधन विभाग द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं, पूर्ण की गई परियोजनाओं और जारी किए गए केंद्रीय हिस्से का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। 7.65 लाख जल संचयन संरचनाओं

का सृजन/पुनरुद्धार किया गया है, 16.41 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सुरक्षात्मक सिंचाई के तहत लाया गया है और 36.34 लाख किसान लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त, 1.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को पौधरोपण (वनीकरण/बागवानी आदि) के तहत लाया गया है और 388.66 लाख कार्य-दिवस सृजित हुए हैं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई-1.0 के तहत भौतिक उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। पूर्ण हो चुकी डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई परियोजनाओं की अन्य पक्षकार (थर्ड पार्टी) द्वारा किए गए एंड-लाइन मूल्यांकन की रिपोर्टों से वॉटरशेड परियोजना क्षेत्रों में भू-जल स्तर में पर्याप्त सुधार, उत्पादकता एवं वानस्पतिक आवरण में वृद्धि, आजीविका के बेहतर अवसर और घरेलू आय में वृद्धि होने का पता चला है।

भारत सरकार ने दिनांक 15.12.2021 को डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई को 12,404 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: 8,134 करोड़ रुपये) के कुल परिव्यय के साथ वर्ष 2021-2026 की अवधि के लिए 'डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0' के रूप में जारी रखने हेतु अनुमोदन दिया है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत, इस विभाग ने हरियाणा सहित 28 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों - जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में 52.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल कर रही 1,220 वॉटरशेड परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई-2.0 के तहत स्वीकृत परियोजनाओं, शामिल किए गए क्षेत्र, परियोजना लागत और जारी किए गए केंद्रीय हिस्से का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक प्राप्त की गई भौतिक उपलब्धियों में 1.15 लाख जल संचयन संरचनाओं (जैसे चेक डैम, एनीकट, खेत तालाब, पर्कोलेशन टैंक, ट्रेंच, आदि) का सृजन/पुनरुद्धार, 2.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षात्मक सिंचाई के तहत लाया जाना, 23.29 लाख किसान का लाभान्वित होना और 266.05 लाख कार्य-दिवस का सृजन शामिल है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई-2.0 के तहत भौतिक उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वॉटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के तहत, प्राकृतिक संसाधनों की बहाली और संधारणीय प्रबंधन के माध्यम से दीर्घकालिक आजीविका के अवसरों में सुधार के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें मृदा एवं जल संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण, वनीकरण, चरागाह और अवक्रमित भूमि विकास, बेहतर उत्पादन प्रणालियां और जल संचयन संरचनाओं का सृजन शामिल हैं। इस कार्यक्रम के तहत मृदा में नमी की वृद्धि, भू-जल पुनर्भरण को बढ़ावा और सुरक्षात्मक सिंचाई का विस्तार किया जाता है, जिससे जलवायु-अनुकूल कृषि, संधारणीय कृषि पद्धतियों, फसल विविधीकरण, एकीकृत खेती प्रणालियों और कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए जल के कुशल उपयोग में सहायता मिलती है। यह भूमिहीन और कमजोर परिवारों के लिए पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, कृषि-वानिकी और आय-सृजन संबंधी कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान करके आजीविका विविधीकरण को भी बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, यह कार्यक्रम संधारणीय आजीविका परिसंपत्तियों के सृजन के लिए क्षमता निर्माण संबंधी पहलों और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ अभिसरण के माध्यम से सामुदायिक संस्थानों को सुदृढ़ बनाता है। इन सभी क्रियाकलापों से जल उपलब्धता में वृद्धि, कृषि उत्पादकता में सुधार, फसल तीव्रता की शून्य से एकल फसल/एकल फसल से बहु-फसल तक वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में संधारणीय रोजगार और दीर्घकालिक आजीविका के अवसरों का सृजन होता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि किए जा रहे क्रियाकलाप तकनीकी रूप से सही, स्थान-विशिष्ट और संधारणीय हों, वॉटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) परियोजनाओं का क्रियान्वयन, वैज्ञानिक आयोजना आधार पर किया जाता है। डीपीआर तैयार करते समय जीआईएस, सुदूर संवेदन और डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) का प्रभावी उपयोग तथा स्थलाकृति, मृदा, जल-निकासी, भूमि उपयोग, वर्षा, भू-जल और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों का आकलन किया जाता है। ये शोधन भूमि की क्षमता, जल-विज्ञान और अपरदन के जोखिम के अनुसार चयनित उपयुक्त मृदा एवं जल संरक्षण संबंधी उपायों के साथ 'रिज-टु-वैली' अप्रोच के आधार पर नियोजित किए जाते हैं। परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) की सहायता से वर्ष 2015 में 'सृष्टि' नाम से एक भू-स्थानिक पोर्टल विकसित किया गया था। इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से विकसित किए गए मोबाइल ऐप 'दृष्टि' का उपयोग करके 'सृष्टि' पोर्टल पर निकट वास्तविक-समय (रियल-टाइम) के आधार पर भू-कूटबद्ध और समय-अंकित तस्वीरें अपलोड की जाती हैं। अब तक, लगभग 23 लाख कार्यों (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत लगभग 16 लाख कार्यों और डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत लगभग 7 लाख कार्यों) को जियो-टैग किया गया है।

(घ) डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत हरियाणा में 9 वॉटरशेड परियोजनाएं स्कीकृत की गई हैं, जिनमें भिवानी-महेन्द्रगढ़ लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र में स्वीकृत की गई 5 परियोजनाएं शामिल हैं। भिवानी-महेन्द्रगढ़ लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र में स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुलग्नक-V** में दिया गया है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत हरियाणा में वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की भौतिक उपलब्धियां इस प्रकार हैं : 625 जल संचयन संरचनाओं (डब्ल्यूएचएस) का सृजन/पुनरूद्धार किया गया, 168 हेक्टेयर भूमि सुरक्षात्मक सिंचाई के तहत लाई गई है, 7170 किसान लाभान्वित हुए, 167.45 हेक्टेयर क्षेत्र पौधरोपण के तहत लाया गया और 56368 कार्य-दिवस का रोज़गार सृजित हुआ।

अनुलग्नक-I

दिनांक 04.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2543 भाग (क) से (ग) के उत्तर के संबंध में अनुलग्नक डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत वित्तपोषित, पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं और जारी किए गए केंद्रीय हिस्से का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	भूमि संसाधन विभाग द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं	पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं	जारी किया गया कुल केंद्रीय हिस्सा (रु. करोड़ में)
1	महाराष्ट्र	1024	1024	2516.95
2	राजस्थान	820	818	2984.59
3	गुजरात	489	489	1366.57
4	मध्य प्रदेश	446	446	1716.05
5	कर्नाटक	429	429	1900.86
6	आंध्र प्रदेश	373	371	1178.91
7	असम	280	280	672.37
8	तेलंगाना	276	274	684.14
9	तमिलनाडु	270	270	924.94
10	उत्तर प्रदेश	249	249	808.49
11	ओडिशा	234	234	1089.17
12	छतीसगढ़	208	208	354.95
13	झारखंड	143	143	270.21
14	हिमाचल प्रदेश	131	131	350.45
15	पश्चिम बंगाल	119	119	271.02
16	जम्मू एवं कश्मीर	119	119	322.03
17	अरुणाचल प्रदेश	114	114	305.84
18	नगालैंड	111	111	640.38
19	हरियाणा	75	75	119.51
20	केरल	69	69	158.07
21	बिहार	64	64	239.67
22	उत्तराखंड	62	62	131.08
23	मणिपुर	61	61	150.56
24	मेघालय	61	61	174.22
25	त्रिपुरा	56	56	222.7
26	मिज़ोरम	49	49	282.16
27	पंजाब	33	33	60.42
28	लद्दाख	11	11	6.15
29	सिक्किम	6	6	24.21
	कुल	**6382**	**6376**	**19926.67**

टिप्पणी: (i) पूर्ववर्ती एकीकृत वॉटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडबल्यूएमपी), जिसे वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के वॉटरशेड विकास घटक (डबल्यूडीसी) में मिला दिया गया है, के तहत स्वीकृति दी गई थी।

(ii) वर्ष 2019-20 तक जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को जारी की गई केंद्रीय हिस्से की धनराशि के आँकड़े, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख दोनों संघ राज्य क्षेत्रों के सम्मिलित आँकड़े हैं।

(iii) गोवा में कोई स्वीकृत परियोजना नहीं है।

अनुलग्नक-II

दिनांक 04.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2543 के भाग (क) से (ग) के उत्तर के संबंध में अनुलग्नक

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत सूचित भौतिक प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक			वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक : नीति आयोग द्वारा दिये गए संकेतक		
		सृजित/ पुनरुद्धार की गई जल संचयन संरचनाएं (संख्या में)	सिंचाई के तहत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र (हेक्टेयर में)	लाभान्वित किसान (संख्या में)	पौधरोपण (बागवानी और वनीकरण) के तहत लाया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)	पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं में शोधित कृषि योग्य बंजर भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	सृजित रोजगार (कार्य-दिवसों की संख्या)
1	आंध्र प्रदेश	196084	305723.00	285771	655.00	9835.00	932934
2	अरुणाचल प्रदेश	777	5126.69	27075	5295.76	64.97	720575
3	असम	8272	127944.39	294351	2400.44	11104.96	3149297
4	बिहार	7030	26324.37	81873	159.50	3659.36	396070
5	छत्तीसगढ़	10458	31243.19	58412	976.67	1041.21	2274110
6	गुजरात	47736	51648.97	92459	10085.10	6065.02	111582
7	हरियाणा	4104	47149.00	37406	435.00	10.00	61246
8	हिमाचल प्रदेश	11035	12917.02	72736	614.27	0.00	753658
9	झारखंड	4690	5233.10	115136	4.00	26954.18	626415
10	कर्नाटक	30691	77878.68	199796	58159.48	16880.00	6341454
11	केरल	34871	36524.33	225848	2509.72	426.29	559260
12	मध्य प्रदेश	38317	171984.05	191894	25.70	6735.83	8201286
13	महाराष्ट्र	16045	139546.18	198545	1831.66	11216.34	327696
14	मणिपुर	11820	3366.55	168063	1841.49	11681.20	447495
15	मेघालय	2617	4079.07	16223	3098.97	2.24	270760

16	मिज़ोरम	10547	51164.18	60471	3034.68	1759.22	18463
17	नगालैंड	3691	4665.50	16388	43178.65	4665.59	725805
18	ओडिशा	27168	57334.48	101914	528.90	8351.25	1906585
19	पंजाब	672	7196.80	9162	0.00	4468.00	130381
20	राजस्थान	152500	101190.00	355211	8098.00	134970.00	1988656
21	सिक्किम	169	32.75	1005	123.00	0.00	13524
22	तमिलनाडु	51661	140838.54	286591	12958.57	30744.19	3397556
23	तेलंगाना	23801	63274.00	83593	0.00	4486.00	108834
24	त्रिपुरा	3866	6148.66	14217	1288.62	2540.51	774137
25	उत्तर प्रदेश	22696	109480.00	314110	940.68	25732.00	1085829
26	उत्तराखंड	17570	2356.87	54281	74.09	0.00	264370
27	पश्चिम बंगाल	15943	18634.41	82423	2982.00	10854.00	2361517
28	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	9816	31757.18	187244	1375.67	2211.39	909008
29	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	39	192.60	1822	12.02	16.00	7920
	कुल	**764686**	**1640954.56**	**3634020**	**162687.64**	**336474.75**	**38866423**

अनुलग्नक-III

दिनांक 04.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2543 के भाग (क) से (ग) के उत्तर के संबंध में अनुलग्नक

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत परियोजनाओं, शामिल किए गए क्षेत्र, कुल परियोजना लागत और केंद्रीय हिस्से की निधियों का ब्यौरा

(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में और रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	शामिल किया गया क्षेत्र	कुल परियोजना लागत	कुल परियोजना लागत में केंद्रीय हिस्सा	जारी की गई केंद्रीय हिस्से की निधियां (दिनांक 29.7.2026)
1	आंध्र प्रदेश	59	2.444	555.31	333.19	283.34
2	अरुणाचल प्रदेश	68	1.509	422.56	380.31	358.48
3	असम	38	1.642	371.36	334.23	270.64
4	बिहार	35	1.716	440.97	264.58	176.02
5	छत्तीसगढ़	45	2.505	613.66	368.20	245.64
6	गोवा	5	0.200	55.96	33.57	14.45
7	गुजरात	51	2.924	687.81	412.68	314.38
8	हरियाणा	9	0.312	80.59	48.36	21.13
9	हिमाचल प्रदेश	35	0.670	187.24	168.51	122.10
10	झारखंड	30	1.480	393.53	236.12	157.55
11	कर्नाटक	78	3.290	769.67	461.80	449.96
12	केरल	6	0.262	73.26	43.95	35.64
13	मध्यप्रदेश	91	5.488	1207.35	724.41	607.06
14	महाराष्ट्र	140	5.260	1251.14	750.68	628.35
15	मणिपुर	13	0.587	164.33	147.90	64.17
16	मेघालय	32	0.627	175.64	158.08	154.44

17	मिजोरम	20	0.496	138.88	124.99	127.39
18	नगालैंड	14	0.522	140.06	126.05	121.30
19	ओडिशा	60	3.235	842.06	505.24	435.30
20	पंजाब	7	0.289	80.83	48.50	21.98
21	राजस्थान	159	8.053	1990.36	1194.22	931.82
22	सिक्किम	9	0.304	84.98	76.49	56.56
23	तमिलनाडु	34	1.662	368.66	221.20	203.55
24	तेलंगाना	35	1.467	368.07	220.84	170.70
25	त्रिपुरा	19	0.320	89.60	80.64	80.17
26	उत्तर प्रदेश	56	2.640	580.67	348.39	186.72
27	उत्तराखंड	15	0.845	232.26	209.03	112.60
28	पश्चिम बंगाल	27	1.292	350.60	210.36	167.96
29	जम्मू एवं कश्मीर	19	0.695	194.58	194.58	137.01
30	लद्दाख	11	0.217	60.86	60.86	37.66
	कुल	**1220**	**52.953**	**12972.85**	**8487.96**	**6694.07**

अनुलग्नक-IV

दिनांक 04.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2543 के भाग (क) से (ग) के उत्तर के संबंध में अनुलग्नक

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक सूचित भौतिक उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	मृदा एवं नमी संरक्षण कार्यकलापों के तहत लाया गया क्षेत्र	पौधरोपण (वनीकरण/ बागवानी) के तहत लाया गया क्षेत्र	जल संचयन संरचना की संख्या	लाभान्वित किसानों की संख्या	सुरक्षात्मक सिंचाई (सृजित/ नवीकृत) के तहत लाया गया क्षेत्र	सृजित कार्य-दिवसों की संख्या	विविध फसलों / फसल प्रणाली में बदलाव के तहत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र	फसल-रहित / एकल फसल से एकल / बहु फसलन के तहत लाया गया क्षेत्र	फसल क्षेत्र में वृद्धि
1	आंध्र प्रदेश	1062.4	3079.59	13504	36373	29251.08	583,681	13055.7433	9,680.95	14045.878
2	अरुणाचल प्रदेश	2721.8	8106.11	243	16945	1059.91	2,067,223	1415	902	18093.75
3	असम	14648.54	1212.63	1083	169679	12679.58	2,623,126	4091.391	10,526.73	12720.7675
4	बिहार	37.24	1196.18	2179	69062	8008.63	216693	4275.05	7,633.75	7397.18
5	छत्तीसगढ़	371.11	596.17	2385	31783	1008.64	569845	514.71	621.974	1392.342
6	गोवा	147.51	506.49	0	1480	0	21372	1	13.6	0
7	गुजरात	17638.03	2925.25	10787	54665	541.25	431426	8626.5408	6,361.98	12700.0218
8	हरियाणा	1123.52	167.45	625	7170	168	56368	202	176	134.35
9	हिमाचल प्रदेश	5109.03	2932.72	948	63272	4337.47	483349	219.84	231.12	245.19
10	झारखंड	21994.24	5080.68	1854	128202	2990.51	652429	5036.64	3,245.10	3946.95
11	कर्नाटक	80334.83	45268.13	2297	284181	6590.25	1,663,032	5485.84	7,823.71	25583.89
12	केरल	107.64	777.68	1445	52929	1455.59	91995	4.8	19.4	77.17
13	मध्य प्रदेश	2222.18	839.57	4892	44312	140926.56	2386374	7442.99	6,532.61	11624.3
14	महाराष्ट्र	75804.16	6012.93	2660	154513	2	851,008	25353.39	35,890.81	59215.19
15	मणिपुर	187.5	900.67	768	11505	425.65	366587	617.702	713.70	506
16	मेघालय	5202.83	7563.38	2352	20211	2238.47	719,894	179	597.2727	1173.4912
17	मिजोरम	6105.1	7696.75	1427	14094	81	44398	742.65	612.86	2053.44

18	नगालैंड	1295.17	6066.09	1108	33220	1030.14	686188	4500.554	5,069.62	5680.204
19	ओडिशा	14451.83	5223.67	6129	155164	13362.58	2,587,256	10488.995	7,240.02	186234.769
20	पंजाब	18	948.94	95	27603	271.5	93,903	79	35	299
21	राजस्थान	4173.32	4177.73	24035	163583	11976.86	3,285,871	3713.4275	3120.9737	9067.28
22	सिक्किम	16297.12	3630.48	457	15347	0	622,431	4120	4120	7205
23	तमिलनाडु	19.42	11248.89	5445	144183	3201.61	1093878	6145.81	4,193.34	5242.12
24	तेलंगाना	546.19	2064.52	2254	6817	10247.26	27,896	5898.91	12,280.04	6030.92
25	त्रिपुरा	49.69	4055.84	2101	14432	1908.85	556,001	440.33	1,032.01	1606.37
26	उत्तराखंड	1915.28	1,108.07	19,124	46,982	23.71	1,283,839	1,637.77	975.60	302.35
27	उत्तर प्रदेश	26,604.40	120.76	1703	207,498	602.43	1,423,500	3,202.19	3,337.43	4,008.09
28	पश्चिम बंगाल	770.46	3,421.72	2,423	121,954	5,366.22	442,170	6,512.29	5,462.47	7,929.07
29	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	5,658.11	2,461.95	1357	177,349	4,763.97	628,644	1,395.20	882.60	2,263.69
30	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	894.96	316.19	30	55105	4,954.04	44766	474.43	190.31	128.23
कुल योग		**307511.61**	**139,707.23**	**115710**	**2329613**	**269,473.76**	**26,605,143**	**125873.1926**	**139,522.99**	**406907.0005**

अनुलग्नक-V

श्री धर्मबीर सिंह द्वारा पूछे गए दिनांक 04.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2543 के भाग (घ) के उत्तर के संबंध में अनुलग्नक

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत भिवानी-महेन्द्रगढ़ लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र में स्वीकृत परियोजनाओं का जिला-वार ब्यौरा

(क्षेत्र हेक्टेयर में और रुपए लाख में)

जिला	परियोजना का नाम	ब्लॉक का नाम	स्वीकृत क्षेत्र	कुल परियोजना लागत	केंद्रीय हिस्सा	राज्य का हिस्सा
भिवानी	भिवानी -डब्ल्यूडीसी - 1 /2021-22	बेहल	3881	1086.68	652	434.67
भिवानी	भिवानी - डब्ल्यूडीसी - 2 /2021-22	लोहारु	4146	1160.88	696.52	464.35
चरखी दादरी	चरखी दादरी - डब्ल्यूडीसी - 1 /2021-22	भादरा	4141	1159.48	695.68	463.79
महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़ - डब्ल्यूडीसी - 1 /2021-22	नांगल चौधरी	2742	767.76	460.65	307.1
महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़ - डब्ल्यूडीसी - 2 /2021-22	महेन्द्रगढ़	4934	1381.52	828.91	552.6
